भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 412
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

युवा सहकार योजना

†412. श्री राजेश वर्माः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती शांभवीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2024 में युवा सहकार योजना के अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित ऋणों का विस्तृत डेटा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत महिलाओं, एससी या एसटी उद्यमियों के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना के साथ 2024 का विस्तृत डेटा क्या है;

(ग) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में योजना के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 2024 में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या युवा सहकार ऋणों को अन्य सरकारी राज सहायता के साथ मिलाने से 2024 में सहकारी स्टार्टअप के लिए बेहतर परिणाम मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): "युवा सहकार-सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना" को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निगम है, जिसका उद्देश्य नवगठित सहकारी समितियों को नए और/या अभिनव विचारों के साथ प्रोत्साहित करना है । यह योजना युवा उद्यमी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है जो कम से कम 3 महीने से काम कर रही हैं । इस योजना के अधीन प्रदत ऋण एक दीर्घकालिक ऋण (पांच वर्षों तक की) है, और प्रोत्साहन स्वरूप एनसीडीसी, परियोजना कार्यकलापों के लिए सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर पर 2% ब्याज अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत ऋण घटक को भारत सरकार की अन्य योजनाओं पर लागू और उपलब्ध सब्सिडी के साथ समंजित किया जा सकता है ।

वर्ष 2024 में युवा सहकार योजना के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित ऋणों पर विस्तृत डेटा निम्नानुसार है:-

युवा सहकार के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरण डेटा

(रु. लाख में)

राज्य	**दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक**		**दिनांक 01/04/2024 से 31/12/2024 तक**	
	संस्वीकृत सहायता	**जारी की गई सहायता**	**संस्वीकृत सहायता**	**जारी की गई सहायता**
बिहार	0.00	38.79	0.00	38.79
जम्मू और कश्मीर	144.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	21.75	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	11.04	0.00	83.02	13.18
राजस्थान	7.20	3.60	0.00	3.60
उत्तर प्रदेश	41.91	23.91	38.50	44.63
उत्तराखंड	-	-	50.39	3.33
पश्चिम बंगाल	70.00	70.00	70.00	0.00
	295.90	**136.30**	**241.91**	**103.53**

(ख): एनसीडीसी को महिलाओं, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है जिससे निम्नलिखित सदस्य लाभान्वित होंगे:

लाभार्थी सदस्य	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25***
महिलाएं	2324	1718
अनुसूचित जाति	1625	1352
अनुसूचित जनजाति	145	619

*दिनांक 31/12/2024 तक

(ग) और (घ): इस योजना का उद्देश्य नए और/या अभिनव विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है । यह योजना युवा उद्यमी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है, जो कम से कम 3 महीने से काम कर रही हैं । इस योजना को सभी राज्यों में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और एनसीडीसी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ)**:** अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ युवा सहकार ऋणों के संमजन से 01/04/2023 से 31/03/2024 और 01/04/2024 से 31/12/2024 की अवधि के दौरान क्रमशः 3107 और 7501 लाभार्थी सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

*****